न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/78/2017

अपीलार्थी
शुभराम पुत्र रामचन्दर
निवासी ग्राम–कारोडा, तहसील बहरोड,
जिला अलवर(राज0)

बनाम

प्रत्यर्थी
लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी बहरोड

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांकः 24.10.2017

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 04.08.2017 के माध्यम से प्रत्यर्थी पक्ष को मु. न0 860/15 बाबत् पॉच बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी थी।
5. आवेदक को उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 04.08.2017 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 13.09.2017 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. द्वितीय/आर.टी.आई.अपील/2017/1507–08 दिनांकः 20.09.17 के माध्यम तलब कर दिनांकः03.10.2017 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से पत्रांक लोक सूचना/2017/933 दिनांक 13.10.17 से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसके अनुसार उनके द्वारा पत्रांक लोक सूचना/2017/932 दिनांक 13.10.17 के माध्यम से आवेदक को सूचना प्रेषित की जा चुकी है।
8 पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में निर्धारित समयावधि (30 दिवस) में प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध नही कराई जाकर इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत करने के पश्चात् सूचना उपलब्ध कराई गयी है।
9. सूचना प्रदत्त है। अस्तु अपील, उपरोक्तानुसार खारिज की जाती है। लोक हित में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्बनधित कार्यालयों से वांछित रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलार्थी कों अविलम्ब उपलब्ध करा दी जावे। प्रत्यर्थी को सावचेत किया जाता है कि भविष्य में निर्धारित समयावधि में सूचना देना सुनिश्चित करे।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित ।

(बनवारी लाल रमण)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर(राज0)